१०

श्रीमा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	
28.5.18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत सड़ा में पेश हुई। प्रार्थी पक्ष की ओर पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार (कोर्ट) सिणधरी उपस्थित। विप्रार्थीगण एकतरफा। प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस कथन किया कि विवादित भूमि मे दर्शित रकबा का उपयोग आमजन द्वारा आवागमन हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। और मौके पर रास्ता चल रहा है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में निजी खातेदारी एवं सरकारी खाते में दर्ज है। जिसे राजस्व रिकार्ड में गै.मु.रास्ता दर्ज किया जावे। **हमनें** उभयपक्ष को सुना। और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि पाया कि,आवेदन में दर्शित विवादित भूमि का रकबा किस्म बा. दोयम/बा.सोयम निजी खातेदारी एवं सरकारी खाते में दर्ज है। जिसकी मौके पर उक्त प्रस्तावित रकबा का आमजन के आने जाने हेतु रास्ते के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है,और तहसीलदार सिणधरी द्वारा भी उक्त रकबे की किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज करने की सिफारिश की गई है। विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नहीं हुए हैं। इससे प्रतीत होता हैं किं विप्रार्थीगण को कोई आपर्ति नहीं है,यदि आपर्ति होती तो न्यायालय में उपस्थित होते,लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है। कि प्रस्तावित रकबेनुसार मौके पर रास्ता चल रहा है। ऐसी सूरत में न्यायालय को गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने में कोई आपर्ति प्रतीत नही होती है। **लिहाजा** प्रार्थी का आवेदन लोकभावना एवं जनहित को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फेसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

(राजस्व लोक अदालत/केम्प स्थल–ग्रा.प.सड़ा)
पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा,आर.ए.एस.

क्रमांकः/राजस्व/2018/1067 दिनांकः–28.05.2018
प्रकरण सं.:–71/2017

–::आदेश::–

श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के पत्रांकःप.12()(1)राजस्व/2016/7205–40 दिनांक 10.10.2016 में प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व **ग्राम** खींयासर पटवार मण्डल सड़ा तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2070–2073 के अनुसार निम्नांकित भूमि निजी खातेदारी में दर्ज है। लेकिन आवेदन में प्रस्तावित रकबानुसार मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है, जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जाने की तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशंषा की गयी है।

भूमि धारक तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशंषा किये जाने पर राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकःप3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 136 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 60(एच) के तहत राजस्व ग्राम खींयासर पटवार मण्डल सड़ा तहसील सिणधरी की निम्नांकित निजी खातेदारी भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

क्र.स.	खातेदार का नाम	ख.न.	कुल रकबा (बीघा)	किस्म	रास्ते हेतु मौके अनुसार प्रस्तावित भूमि	
					रकबा	किस्म
1	ओ.एन.जी.सी.एल. (सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु)	264/65 250/16 257/70 259/16 254/16	11-00 0-02 0-04 0-05 0-05	बा.दोयम बा.दोयम बा.दोयम बा.दोयम बा.दोयम	3-00 0-02 0-04 0-05 0-05	गै.मु.रास्ता
2	राणाराम पुत्र हमीराराम मु.बच्चू बेवा हमीराराम कौम राईका सा.देह खातेदार	72/2	92-05	बा.दोयम	1-02	गै.मु.रास्ता
	आदूराम सूजाराम मेगाराम किशनराम पि.सवाराम सोकूदेवी पत्नि सवाराम कौम राईका सा.देह खातेदार	72/4	92-05	बा.दोयम	0-06 0-07	गै.मु.रास्ता
	अणसीदेवी पत्नि पूनमाराम कौम जाट सा.देह खातेदार	72/6	14-00	बा.दोयम	0-06	गै.मु.रास्ता
	राणाराम पुत्र मगना कौम राईका सा.देह खातेदार	72	189-19	बा.दोयम	1-04	गै.मु.रास्ता
6	खेमी पत्नि सोनाराम कौम जाट सा.देह खातेदार	72/9	8-07	बा.दोयम	0-07	गै.मु.रास्ता
7	पुरखाराम गेमाराम तेजाराम पि.नवलाराम कौम राईका सा.देह	9/3	1-17	बा.दोयम	1-19	गै.मु.रास्ता

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

	वरिष्ठ भू.वैज्ञानिक खान एवं भू.विज्ञान विभाग बाड़मेर हेतु आरक्षित	12/1	6-00	बा.दोयम	0-07	गै.मु.रास्ता
9	ताजाराम पुत्र तुलछाराम कौम जाट सा.देह	12	253-03	बा.दोयम	0-05	गै.मु.रास्ता
10	खींया पुत्र नानगा जाट सा.देह खातेदार	3	131-18	बा.दोयम	2-06 0-18	गै.मु.रास्ता

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

दिनांक

क्रमांकः/राजस्व/2018/1068-1069

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक पालनार्थ।

1. श्रीमान जिला कलक्टर,बाड़मेर।
2. तहसीलदार सिणधरी।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Scanned by CamScanner